

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

द्विपक्षीय निवेश संधि

5056. श्री इटैला राजेंदर:

श्रीमती डी. के. अरुणा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सतत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए हैं और 'सर्वप्रथम भारत का विकास' की भावना के अनुरूप वर्तमान मॉडल बीआईटी का पुनरुद्धार/सुधार करके तथा इसे और अधिक निवेशक हितैषी बनाया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1989 से लेकर आज की तिथि तक इस संबंध में देशवार कितनी प्रगति हुई है तथा देश को इससे कितना लाभ हुआ है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) जी हां, भारत ने देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए हैं। निरंतर विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और 'सर्वप्रथम भारत का विकास' की भावना से वर्ष 2024 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और उज्बेकिस्तान के साथ बीआईटी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत ने वर्ष 2015 में अपने मॉडल बीआईटी को संशोधित किया, जिसका उपयोग मौजूदा और भविष्य के बीआईटी पुनर्संवाद के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में किया गया था। हालाँकि, वैश्विक स्तर पर देश अपने बीआईटी में संशोधन के अवसरों का उत्तरोत्तर पता लगा रहे हैं और नए बीआईटी पर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा, भारत द्वारा अपने मॉडल बीआईटी की समीक्षा किए हुए लगभग 10 वर्ष बीत चुके हैं, निवेशक की मित्रता और राज्य की नियामक शक्ति के बीच समग्र संतुलन बनाने के लिए भारत के मॉडल बीआईटी में कुछ खंडों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई।

(ख) वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद और वर्ष 2014 तक, भारत ने 83 देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 74 की अभिपुष्टि की गई और उन्हें लागू किया गया। इन संधियों का विवरण आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट (<https://dea.gov.in/bipa>) पर देखा जा सकता है। वर्ष 2015 में संशोधित मॉडल बीआईटी के आधार पर, उन देशों के साथ मौजूदा संधियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था जिनकी प्रारंभिक वैधता अवधि समाप्त हो गई थी और संशोधित मॉडल बीआईटी के आधार पर फिर से बातचीत शुरू की जाए। तब से, भारत ने बेलारूस, किर्गिज गणराज्य के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों, ब्राजील, यूएई और उजबेकिस्तान के साथ निवेश सहयोग और सुविधा संधि (आईसीएफटी) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ताइपे एसोसिएशन और ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के बीच भी द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बीआईटी एक दूसरे के देशों में निजी विदेशी निवेश की रक्षा के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य सुविधा के स्तर को बढ़ाना और समान अवसर सुनिश्चित करके और निवेशकों को अनुकूल निवेश महौल प्रदान करके निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देना है।
